आर.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00325

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 47/2015 (अस्तअली बनाम अलादीन वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 20.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.09.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम ग्राम मन्दरूपपुरा के ख0न0 85 रकबा 4.28 है0 में, ख0न0 89, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 8.29 है0 में तथा ग्राम मलसीसर के ख0न0 834, 835 कुल किता 2 कुल रकबा में 2.95 है0 में बिड़दीखां के हिस्से में दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 20.09.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 47 / 2015

अस्तअली खां पिता बिड़दी खां जाति क्यामखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

1. अलादीन पुत्र नजीर खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 8 क्यामखानियों का मौहल्ला रेलवे फाटक के पास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. प्रवीण बानों पत्नी जीवण खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. आईसा पत्नी कासम अली जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. जायदा पत्नी युसुफ खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. युनुस खां पिता कासम अली जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. मुस्तफा खां पुत्र जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. फारूक खां पुत्र जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. फरियाद खां पिता अलीम खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. खातून बानों पत्नी ताज मोहम्मद जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. मुबारिक पुत्र ताज मोहम्मद जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
11. जीवण खां पुत्र अलीम खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
12. मुरादखां पुत्र ताजू खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
13. निजामुदीन खां पुत्र ताजू खां जाति क्यामखानी वार्ड न0 2 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
14. महनुखां पुत्र माडू खां जाति व्यापारी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

वकील वादी – श्रीमती रजिया बानों
वकील प्रतिवादी संख्या 1 – श्री विजयपाल सिंह

दावा बाबत धोषणार्थ, दुरूस्ती करवाने रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.09.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मन्दरूपपुरा पटवार हल्का गोखरी की सरहद में भूमि ख0न0 85 रकबा 4.28 है0, 89 रकबा 4.22 है0, 139 रकबा 4.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 12.57 है0 तथा वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि ख0न0 834 रकबा 1.86 है0, 835 रकबा 1.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.95 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में ग्राम मन्दरूपपुरा के ख0न0 85 रकबा 4.28 है0 में 1/2 हिस्से का, ख0न0 89, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 8.29 है0 में 1/4 हिस्से का तथा ग्राम मलसीसर के ख0न0 834, 835 कुल किता 2 कुल रकबा में 2.95 है0 का खातेदार काश्तकार बिड़दी खां था तथा बिड़दी खां के फौत होने पर बिड़दी खां के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी भूमि का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी वादी हुआ, क्योंकि बिड़दी खां का दुसरा पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 अलादीन दिनांक 18.03.1972 को वादी व प्रतिवादीगण के समाज में चली आ रही रूडी प्रथा के अनुसार नजीर खां के गोद चला गया तथा दिनांक 18.03.1972 को ही उप पजींयन भादरा के यहां गोदनामा पंजीबद्व करवा दिया गया। गोद जाने के बाद से ही प्रतिवादी न0 1 अपने गोद के माता पिता के यहां चला गया और वहीं रहने लगा। प्रतिवादी संख्या 1 के सभी दस्तावेजात में भी प्रतिवादी के पिता का नाम नजीर ख़ां दर्ज है। नजीर खां के फौत होने पर हनुमानगढ़ में स्थित उसकी सम्पति का भूमि व मकानात आदि का नामान्तरकरण भी अलादीन पुत्र नजीर खां के नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा तथा ना ही उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा। परन्तु बिड़दी खां के फौत होने पर बिड़दी खां का फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया तब गलती से राजस्व रिकार्ड में बिड़दी खां के दोनो पुत्रों वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 18.03.1972 को ही गोद चला गया था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण जो विधि विरूद्व है और एबिनिसियोबोइड है, वादी के अधिकारों पर बेअसर है। जो काबिले खारीज योग्य है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि में ग्राम मन्दरूपपुरा के ख0न0 85 रकबा 4.28 है0 में 1/2 हिस्से का, ख0न0 89, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 8.29 है0 में 1/4 हिस्से का तथा ग्राम मलसीसर के ख0न0 834, 835 कुल किता 2 कुल रकबा में 2.95 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि पर से जबरन बेदखल ना करें वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 14 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 14 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण बिड़दी खां की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम सही भरा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बिड़दीखां का वारिस होने से है। मुस्लिम कानून में गोद नहीं होता है दावा में वादी ने गोद के बाबत तमाम तथ्य गलत दर्ज किये है। दिनांक 18.03.1972 को वादी व प्रतिवादीगण के समाज में चली आरही रूढ़ी प्रथा के अनुसार नजीर खां के गोद चले जाने की बात गलत दर्ज की है। प्रतिवादी संख्या 1 को बिड़दी खां की खातेदारी की कृषि भूमि उत्तराधिकार में सही रूप से मिली है। वादी को जानकारी व सहमती से बिड़दी खां के देहान्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी कानाम दर्ज हुआ है। वादी अपनी स्वीकृति से पाबन्द है। बिड़दी खां को मरे हुये 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का उक्त जमीन जैर बहस के रिकार्ड में अंकन हुये भी 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया। इस प्रकार वादी का दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जवाब देही पूर्ण होने पर विवाधकों की विरचना हेतु वादीगण द्वारा पेश किये गये दावे में वादपत्र के तथ्यों एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये जवाब के तथ्यों के आधार पर तनकीयात के बिन्दु कायम किये गये जो इस प्रकार है :–

1. आया ख0न0 85 रकबा 4.28 है0 में से 1/2 हिस्सा वादी व ख0न0 89, 139 कुल-रकबा 8.29 है0 रोही मौजा मन्दरूपपुरा मे से 1/4 हिस्स की खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाकर वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

   – जिमें वादी

2. आया ख0न0 834, 835 कुल रकबा 2.95 है0 रोही मौजा मलसीसर में 1/4 हिस्से की वादी धोषणा करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है।

   –जिमें वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 नजीर खां पुत्र भूरे खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा के दिनांक 18.03.1972 को गोद गया हुआ है जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा उप पंजीयक भादरा से पंजीकृत है।

   – जिमें वादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 18.03.1972 को गोद चले जाने से उसके प्राकृतिक पिता स्व0 बिड़दी खां की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है।

   – जिमें वादी

5. आया वादग्रस्त सम्पति में बिड़दी खां के हिस्से पर अकेला वादी काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

   – जिमें वादी

6. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

   – जिमें वादी

7. आया वादी को वादहेतु वादाधार प्राप्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

– जिमें प्रतिवादी

8. आया दावा अवधि भीतर नहीं है। – जिमें प्रतिवादी

9. अन्य अनुतोष

विवाधकों की विरचना हेतु बिन्दु कायम होने के उपरान्त वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 18 डाले गये जो इस प्रकार है :–

1. प्रदर्श 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74, सम्वत 2069–72, सम्वत 2066–69, सम्वत 2070–73
2. प्रदर्श 2, 5 – नकल नक्शा ट्रेस ख0न0 89, 139 ख0न0 834
3. प्रदर्श 3, 6 – गिरदावरी ख0न0 89, 139 ख0न0 834, 835
4. प्रदर्श 15 – गोदनामा
5. प्रदर्श 16 – नामान्तरकरण भादरा
6. प्रदर्श 17, 18 – ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा जारी पहचान पत्र

वादी की ओर से साक्ष्य में पेश किये गये शपथ पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.04.2022 को जिरह की गई जिरह के बिन्दू इस प्रकार है :–

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – "मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं। बिड़दी खां की मैं और अलादीन दो संताने थी। यह मेरी मां ने मुझे बताया। बिड़दी खां की मृत्यु के पश्चात विरासतन का इन्तकाल मैंने नहीं चढ़वाया उस समय में बच्चा था। इन्तकाल मेरे व अलादीन के नाम दर्ज हुआ मुझे नहीं पता। मैंने इन्तकाल को कभी चुनौती नहीं दी मुझे इन्तकाल का 2015 में किसान कार्ड बनाने गया तब पता चला अज खुद कहा। मैंने लोन नहीं लिया। मैंने फसल की सब्सीडी के 5000/– रूपये लिये। जमीन पर मेरे अलावा कभी किसी ओर का कब्जा नहीं रहा। नामान्तरकरण कब भरा गया यह मुझे नहीं पता मैंने तो मेरा खेत देखा। मुझे नहीं पता मुस्लिम लॉ में दत्तक पुत्र का प्रावधान नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है या नहीं मुझे नहीं पता। कस्टम रूडी को मैं नहीं जानता। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई मैं छोटा था। मेरे पिताजी को मरे हुये 50 वर्ष हो गये उस समय रेल्वे की हड़ताल थी। पहले मेरे पिताजी का देहान्त हुआ उसके बाद मेरी माताजी का देहान्त हुआ। राजस्व रिकार्ड सही इनका नाम आने पर मुझे एतराज है।"

साक्ष्यप्रतिवादी पर प्रतिवादी संख्या 1 अलादीन की ओर से अपने जवाब के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में पेश किये गये शपथ पत्र पर विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 23.08.2022 को जिरह की गई जिरह के बिन्दू इस प्रकार है :–

जिरह द्वारा अधिवक्ता वादी – "मेरे पिताजी का नाम बिड़दी खां है। मैं तीस–चालीस सालसे भादरा रह रहा हूं। मैं भादरा मजदूरी करने गया। मेरे ससुराल में वहां है इसलिये मैं मजदूरी करने गया। बिड़दीखां की मृत्यु 1972 में हुई। बिड़दीखां की मृत्यु के समय मैं यहीं पर था। मैं कायमखानी जाति से हूं। कायमखानी जाति पहले हिन्दु जाति थी मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरा रजिस्टर्ड गोदनामा बना हुआ हो दत्तक पुत्र नजीर खां के नाम से है। अज खुद कहा बसीयत बनी हुई है नजीर खां के नाम से। नजीर खां की

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

जमीन वसीयत से मेरे नाम आई थी। यह जमीन मेरी पत्नी के नाम आई। भादरा में पहले वृद्वा पेंशन मिलती थी जो अब बंद हो गई। मेरे दस्तावेज में मेरे पिता का नाम नजीर खां लिखा हुआ है। मुंशीब बोर्ड में नजीर खां के नाम पट्टा बना हुआ था उसे मेरे नाम करवाने के लिये मेरे दस्तावेज में पिता का नाम नजीर खां लिखवाना पड़ा अज खुद कहा। मलसीसर में बिड़दीखां की जमीन पर मेरा कब्जा है। मन्दरूपपुरा में दो खेत है। यह दो ही खेत है। इसकेअलावा कोई खेत नहीं है। पड़ौस में आशाराम कुम्हार प नाराणा कुम्हार, भगवाना, जीवणखां का खेत है। उत्तरादी सींव में आशाराम काश्त करता है। पहले खेत को मैं खुद काश्त करता था। हमारे दो खेत के अलावा कोई ओर खेत नहीं है। मलसीसर की रोही में जो खेत है वो मेरे चाचा का है। मैं मेरे पिता की मृत्यु के बहुत बाद भादरा मजदूरी करने गया था। 8 साल बाद गया था अज खुद कहा। मै। अपनी जायन्दा माता के पास रहता था। मेरी माताजी व मेरे भाई को मै भादरा साथ रखता था। अस्तअली खां उस समय 12 साल का था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माताजी ने नामान्तरकरण दर्ज करवाया था। मेरी माताजी अनपढ़ थी। मुझे याद नहीं है कि मेरे पिताजी के खत्म होने के कितने वर्षो बाद मेरे माताजी ने नामान्तरकरण दर्ज करवाया। यह कहना गलत है कि मेरे पिता के देहान्त होने के बाद मैने गलत नामान्तरकरण दर्ज करवाया हो। भादरा में जमीन का राजस्व रिकार्ड नजीर खां के नाम से था। यह कहना गलत है कि मैंने मेरे बहन के भात छुछक नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि मैंने झुठे बयान दिये हो।"

साक्ष्य एवं जिरह पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस श्रवण की गई। सर्वप्रथम बहस वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा तनकीयात के बिन्दुओं पर बहस के दौरान वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 नजीर खां पुत्र भूरे खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा के दिनांक 18.03.1972 को गोद गया हुआ है जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा उप पंजीयक भादरा से पंजीकृत है। रजिस्टर्ड गोदनामा जो उपपंजीयक भादरा के यहां से पंजीबद्व है प्रदर्श–15 पेश किया हुआ है। नजीर खां की सम्पति का नामान्तरकरण अलादीन खां के नाम नजीर खां की मृत्युउपरांत दर्ज हुआ है नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–16 पेश की हुई है। इस प्रकार गोद चले जाने के उपरान्त कोई व्यक्ति जायन्दा पिता की सम्पति में अपना हक नहीं ले सकता। अलादीन नजीर खां के गोद चले जाने तथा नजीर खां की सम्पति का नामान्तरकरण बतौर गोद पुत्र अलादीन के नाम दर्ज होने से अलादीन के जायन्दा पिता बिड़दीखां की सम्पति में अलादीन का कोई हक हिस्सा बतौर वारिस नहीं रहा। इस प्रकार बिड़दीखां की सम्पति में अलादीन का नाम गलत दर्ज हुआ है जो काबिले दुरूस्त योग्य है। अलादीन के गोद चले जाने से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि पर अस्तअली खां बतौर काबिज काश्त करता रहा है। वादी के अधिवक्ता ने अपने वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

डीएनजे 2014 पेज नम्बर 249 माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल रिट पिटिशन 470/2005 शबनम हाशमी बनाम भारत राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 19.04.2014

"contended that Islamic Law does not recognize an adopted child to be at par with a biological child-juvenile Justic Act is an enabling legislation that gives a prospective parent the option of adopting an eligible child by following procedure- no appropriate time and stage where the right

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

to adopt and the right to be adopted can be raised to the status of a fundamental right --Act does not mandate any compulsive action by any prospective parent leaving such person with the liberty of accessing the provisions of the Act and such a person is always free to adopt or choose not to do so and insted. follow what he comprehends to be the dictates of the personal law applicable to him"

इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से कायमखानी समाज का इतिहास पेश किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मुश्लिम समाज में गोद का प्रावधान नहीं है। रूढ़ी की बात को मानी भी जाती है तो बालिग को गोद नहीं दिया जा सकता। वादी द्वारा बिड़दीखां के फौतगी नामान्तरकरण को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है। बिड़दीखां की मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष तक विपरीत कब्जा के आधार पर वादी को खातेदारी नहीं दी जा सकती। विपरीत कब्जे पर सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय में चाराजाही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे पेज 367 दिनांक 2505.2017 पेश किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण करने के पश्चात हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि कायमखानी समाज में गोद लिया जा सकता है अथवा नहीं? गोद जाने के उपरान्त पैतृक सम्पति में उसका हिस्सा रहेगा अथवा नहीं? और इसी के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि के खातेदारी टीनेन्सी पर निर्णय किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शबनम हाशमी बनाम भारत राज्य में पारित अपने निर्णय दिनांक 19.02.2014 में मुस्लिम समाज में गोद लेने को वैधानिक करार दिया है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया न्यायिक दृष्टांत प्रश्नगत बिन्दु पर पूर्णतया चस्पा होता है। जिससे यह बिन्दु कि कायमखानी समाज में गोद नहीं लिया जा सकता, पूर्णतः स्पष्ट है और इसी के अनुसार मुस्लिम समाज में गोद लेने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

दूसरा बिन्दु है कि गोद जाने के बाद पैतृक सम्पति में उसका हिस्सा रहेगा अथवा नहीं। इस बिन्दु पर विचारण करते समय विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत का पुनः अवलोकन करने पर पाया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन 470/2005 शबनम हाशमी बनाम भारत राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा Juvenile Justice (care and Protection of children) Act, 2000 को परिभाषित करते हुये जेजे एक्ट 2000 में 2006 में संशोधन कर गोद को परिभाषित किया गया है संशोधन एक्ट 2006 के नियम 2 (aa) में adoption को परिभाषित किया गया है :

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

2(aa)-"adoption" means the process through which the adopted child is permnently sepatated from his biological parent and become the legitimate child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the relationship"

इस प्रकार दोनो विचारणीय बिन्दु स्पष्ट है। प्रश्नगत प्रकरण में वादी की ओर से पेश किये गये रजिस्टर्ड गोदनामा इस बात का प्रमाण है कि प्रतिवादी संख्या 1 नजीर खां के गोद गया हुआ है। और गोद की हैसियत से अलादीन प्रतिवादी संख्या 1 को वो समस्त अधिकार प्राप्त हुये जो गोद पुत्र को होन चाहिये और इसी के तहत नजीर खां की सम्पति अलादीन के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार अलादीन नजीर खां का गोद पुत्र होने से अलादीन का उसके जायन्दा पिता की सम्पति में जेजे एक्ट 2000 संशोधित 2006 के तहत कोई अधिकार नहीं रहता और ना ही वह पैतृक सम्पति में अपने अधिकार पाने का अधिकारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम मन्दरूपपुरा के ख0न0 85 रकबा 4.28 है0 में, ख0न0 89, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 8.29 है0 में तथा ग्राम मलसीसर के ख0न0 834, 835 कुल किता 2 कुल रकबा में 2.95 है0 में बिड़दीखां के हिस्से में दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(साधुराम जाखड़)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर